

सेवा में,

निदेशक (मानव संसाधन),
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
विद्युत भवन, माजरा,
देहरादून।

विषय : अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशक (मानव संसाधन), पा०ट्रा०का०ऑ०उ०लि०, देहरादून के पत्र संख्या
/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/एच-4 दिनांक के अनुपालन में आज दिनांक (पूर्वान्ह/अपरान्ह)
को पा०ट्रा०का०ऑ०उ०लि० के अर्न्तगत अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) का पद ग्रहण करने के लिए निम्न वांछित प्रमाण पत्रों तथा
घोषणा पत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता/करती हूँ:-

क्र०सं०	प्रस्तुत प्रपत्र	मूल रूप में	सत्यापित छायाप्रति	टिप्पणी
1	योग्यता प्रमाण पत्र			
(i)	हाई स्कूल/समकक्ष			
(ii)	इण्टरमीडिएट/समकक्ष			
(iii)	स्नातक			
(iv)	परास्नातक			
(v)	अन्य योग्यता			
(vi)	तकनीकी (डिप्लोमा/डिग्री)			
(vii)	कम्प्यूटर (डिप्लोमा/सर्टिफिकेट)			
(viii)	कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र			
(ix)	सेवायोजन पंजीयन			
2	जन्म तिथि प्रमाण पत्र			
3	चरित्र प्रमाण पत्र			
(i)	च०प्र०प०(अ०शि०सं०/अ०नि०)			
(ii)	च०प्र०प०(दो स०व्य०)			
4	कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र			
5	स्वास्थ्य प्रमाण पत्र			
6	जाति/श्रेणी/निवास प्रमाण पत्र			
(i)	जाति प्रमाण पत्र			
(ii)	विशेष श्रेणी प्रमाण-पत्र			
(iii)	उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र			
7	घोषणा पत्र			
(क)	वैवाहिक स्थिति घोषणा			
(ख)	पिटकुल में कार्यरत सम्बन्धी विषयक			
(ग)	ऋणमुक्ति विषयक			
(घ)	सम्पत्ति विषयक			
(ङ)	कारपोरेशन के प्रति निष्ठा/वचन/शपथ पत्र			
(च)	राजनैतिक दल से सम्बन्धी			
(छ)	शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा सम्बन्धी			
(ज)	परिवार/आश्रितों की सूची प्रपत्र			
(झ)	चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में)			
(ञ)	प्रमाण पत्रों/घोषणा पत्रों की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र			
(ट)	बन्ध पत्र/प्राधिकार पत्र			
8	अन्य प्रपत्र			

दिनांक :

संलग्नक : यथोपरि

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

अनुक्रमांक :

श्रेणी :

हस्ताक्षर : निरीक्षणकर्ता : का०सहा० हस्ताक्षर : निरीक्षक कार्या०अधी०

दिनांक :

हस्ताक्षर : पुर्नपरीक्षक अधिकारी

(1)

घोषणा पत्र - (क)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित/अविवाहित हूँ तथा मेरी एक ही
जीवित पत्नी/पति है/नहीं है जिसका नाम है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

घोषणा पत्र - (ख)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह घोषणा करता/करती हूँ :-

- 1- कि मेरा कोई भी सम्बंधी पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत नहीं है ।
- 2- कि मेरा सम्बंधी श्री पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
के अन्तर्गत कार्यालय में पद पर कार्यरत है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

ऋण मुक्ति घोषणा पत्र - (ग)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... यह घोषणा करता/करती हूँ
कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का, किसी भी संस्था/कारपोरेशन/बैंक/निगम एवं व्यक्ति का ऋण नहीं है। मैं
पूर्णतः ऋण मुक्त हूँ ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(1)

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र - (घ)

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद्वारा कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित सम्पत्ति की सेवानियमों में निर्धारित अवधि में घोषणा करूँगा/करूँगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ :-

भूमि-सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है			क्षेत्र हेक्टेयर /एकड़ में	अर्जित या पैत्रिक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

भवन सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है			भवनों की संख्या	अर्जित या पैत्रिक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ।	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
तहसील	ग्राम/नगर/उपनगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक/जानकारी पाने के दिनांक से एक माह के भीतर घोषित कर दूँगा/दूँगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

टिप्पणी:- अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा सम्मिलित है जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जायेगी ।

(3)

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूँजी (Investment) नहीं है

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) जमा पूँजी (Investment) का स्वामी/स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतदपश्चात मैं कोई हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या जमा पूँजी लगाऊँगा/लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित सेवानियमों में निर्धारित अवधि में घोषणा कर कारपोरेशन को सूचित कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Share) के स्वामी/स्वामिनी हैं या जिनकी अन्य जमा पूँजी (Investment) है ।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूँजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (SHARES)

क्रम सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का कुल मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(4)

जमा पूँजी (Investment)

क्रम संख्या	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद्पश्चात कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा कर दूँगा/दूँगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(5)

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ :-

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य	क्रय धारण करने की तिथि	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी, यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य रू0 1000/- अथवा कर्मचारी के एक माह का वेतन, जो भी कम हो, से अधिक है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(1)

रु0 10/-के स्टाम्प
पेपर पर नोटरी द्वारा
सत्यापित किया जाये ।

समक्ष निदेशक (मानव संसाधन), पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून

कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा का वचन पत्र – (ड)

मैं एतद्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के अधीन अवर अभियन्ता के रूप में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाये रखूँगा/रखूँगी तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्णरूप से गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी। मैं अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के पर्यवेक्षक/प्रतिवेदक के रूप में उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिका में कारपोरेशन हित को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ सम्बन्धित कर्मचारियों की कार्य दक्षता/दक्षमा का निष्पक्षता पूर्वक मूल्यांकन कर अपना अभिमत अंकित करूँगा/करूँगी तथा उसकी गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

घोषणा पत्र - (च)

मैंपुत्र/पुत्री श्रीनिवासी (पूरा पता)
एतद्द्वारा घोषणा

करता /करती हूँ कि :-

- (क) मैं न तो किसी ऐसे राजनैतिक दल/संस्था का/की सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,
- (ख) और न ही किसी ऐसे राजनैतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा संबन्ध रखता/रखती हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,
- (ग) और न ही अवर अभियन्ता पद के पर्यवेक्षकीय (सुपरवाइजरी) श्रेणी का पद होने के कारण उस पर प्रवृत्त सेवानियमों एवं श्रम कानूनों के विपरीत किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध किसी संगठन का सदस्य नहीं बनूँगा/बनूँगी।
- (घ) और न ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेल जोल/अथवा सहानुभूति रखूँगा/रखूँगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

(1)

घोषणा पत्र - (छ)

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल बिना कारण प्रदर्शित किये समाप्त की जा सकती हैं ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-.....

दिनांक :

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं के विभाग में सेवारत हूँ। मैं अपने पूर्वनियोजक द्वारा पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के अधीन के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया/गयी हूँ। कार्यमुक्ति पत्रांक/आदेश संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम-

दिनांक :

घोषणा पत्र - (अ)

पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
सत्यापन / साक्ष्यकन प्रपत्र

चेतावनी

(1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को दबा कर रखना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिये जाने के लिए अयोग्य कर सकता है ।

(2) इस प्रपत्र को भर कर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो, तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और उसका उल्लेख न करने की दशा में इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जायेगा ।

सत्यापित
पासपोर्ट साइज
फोटो

- 1- पूरा नाम, उपनाम, यदि कोई हो
- 2- पिता का पूरा नाम, उपनाम, यदि कोई हो
सेवा व पदनाम भी दें, यदि कोई हो
- 3- माता का नाम
- 4- पिता की राष्ट्रीयता :
माता की राष्ट्रीयता :
पत्नी की राष्ट्रीयता :
पति की राष्ट्रीयता :
- 5- जन्म स्थान (स्वयं का)
पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हों)
पति/पत्नी की आयु :
- 6- धर्म :- हिन्दू/मुस्लिम/बौद्ध/इसाई/जैन
- 7- जाति:- सामान्य/अनु० जाति०/अनु० जनजाति/अ०प०व०.....
- 8- श्रेणी :- महिलाएँ/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्त व्यक्ति/स्व० संग्राम सैनानी
9. **स्थायी पता:-**
मकान सं०/गली सं०:-.....
मौहल्ला/कालोनी:-.....
नगर/ग्राम:-.....
डाक घर:-.....
तहसील/जिला:-.....
पिन कोड:-.....
राज्य:-.....

यदि मूलरूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के सभी पते व भारत में आगमन की उसकी तिथि भी वर्णित की जानी चाहिए ।

.....
.....
.....

(3)

15- शैक्षिक अर्हताएं अभ्यर्थी ने 15 वें वर्ष की आयु से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा प्राप्त की हो, उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

स्कूल / कालेज का नाम व पूरा पता	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	परीक्षा जो उत्तीर्ण की है

16- उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता / विवरण जहाँ अभ्यर्थी कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो :-

पद का नाम व कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय का नाम व पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		
1	2	3	4	5

17- मोहल्ले के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम व पते तथा टेलिफोन नं० जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो ।

(1)

(2)

18- (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा/हवालात, प्रतिबन्धित अर्थदण्ड किया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से प्रतिबन्धित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से प्रतिबन्धित/अनर्ह किया गया है ।

(ख) क्या इस साक्ष्यकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय/ विश्वविद्यालय में किसी शैक्षिक प्राधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है ।

टिप्पणी:-

(1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूर्ण विवरण यथा हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि किसी भी न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकारी के अधीन लम्बित होने इत्यादि का पूर्ण विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती हैं ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

रू0 10/-के स्टाम्प
पेपर पर नोटरी द्वारा
सत्यापित किया जाये ।

घोषणा पत्र – (ज)

समक्ष प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून

शपथ पत्र श्री / श्रीमती / कु0.....पुत्र / पुत्री श्री.....आयु.....
निवासी.....

मैं, उपरोक्त शपथ कर्ता / कर्ती शपथपूर्वक निम्न लिखित कथन करता / करती हूँ :-

1. यह कि शपथकर्ता / कर्ती पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्राप्त कर्ता / कर्ती है तथा इस शपथ पत्र के तथ्यों से भली भांति परिचित हैं ।
2. यह कि शपथ कर्ता / कर्ती ने कारपोरेशन के समक्ष जो प्रमाण पत्र या उनकी छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की हैं वह प्रमाणिक है और वह या उसका कोई भाग असत्य नहीं है ।
3. यह कि शपथ कर्ता / कर्ती को किसी अधिकारी या सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित नहीं किया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में शपथकर्ता / कर्ती को दण्डित किया गया है। शपथ कर्ता / कर्ती के विरुद्ध वर्तमान तक किसी प्रकार का फौजदारी वाद लम्बित नहीं है।
4. यह कि जो प्रमाण पत्र व घोषणा शपथकर्ता / कर्ती ने नियुक्ति की सेवाशर्तों पत्रांक.....
.....दिनांक.....के उत्तर के साथ घोषित व समर्पित की हैं वह सब सत्य है ।
5. यह कि मुझे इस तथ्य का ज्ञान है कि यदि कोई भी प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र या छायाप्रतियाँ असत्य पायी जाती हैं तो शपथ कर्ता / कर्ती भारतीय दण्ड विधान / सम्बन्धित प्राविधान के अन्तर्गत दण्ड योग्य होगा / होगी ।

हस्ताक्षर कार्मिक.....

मैं.....उपरोक्त शपथकर्ता / कर्ती आज दिनांक.....को स्थान देहरादून में
पुष्टि करता / करती हूँ कि लेख उपरोक्त चरण संख्या 1 से 5 मेरे निजी ज्ञान में सत्य है ।

हस्ताक्षर कार्मिक

उत्तराखण्ड प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवासी ग्रामतहसीलनगरजिला.....
उत्तराखण्ड राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जन जाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
.....ग्रामतहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतः निवास करते हैं ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी ।

उत्तराखण्ड प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर.....जिला.....
उत्तराखण्ड राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं । यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, कि अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं । उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या 22/16/92- का-2/ 1995 टी0सी0, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथासंशोधित से आच्छादित नहीं है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....
..... तहसील.....नगर.....जिला..... में सामान्यतः रहता है ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी ।

एक सौ रूपये के स्टाम्प
पेपर पर नोटरी द्वारा
सत्यापित किया जाये ।

समक्ष निदेशक (मानव संसाधन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री/कु0/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... जिन्हें पावर ट्रांसमिशन
कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के नियुक्ति पत्र संख्या/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच-4
दिनांक में वर्णित शर्तों के अधीन अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति
दी गई है। (एतदपश्चात् अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) कहलायेगें) एवं श्री/कु0/श्रीमती
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी (एतदपश्चात् प्रतिभू
कहलायेगें), एतद्वारा आबाद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं
उत्तरवर्ती शामिल हैं), संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(एतदपश्चात् कारपोरेशन कहलायेगें) के मांगे जाने पर रूपये 2,00,000/- रूपये (रूपये दो लाख मात्र)
देने को बन्धपत्रित होंगे।

शपथकर्ता/कर्ती कारपोरेशन को यह आश्चर्य करने के आशय से कि कार्मिक स्वयं अपनी ओर से
कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियन्ता
(जानपद) (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक नहीं छोड़ेगा, कार्मिक
यह बन्धपत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि कार्मिक अपनी
प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं तत्पश्चात् अवर अभियन्ता (जानपद) के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन
वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले कारपोरेशन की सेवाओं से त्याग पत्र नहीं देगा/न ही अन्यथा छोड़ेगा।

क्रमशः.....2/-

यदि शपथकर्ता/कर्ती प्रशिक्षण अवधि में अथवा तत्पश्चात् नियमित संवर्ग में अस्थाई नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व कारपोरेशन की सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा अन्यथा सेवा छोड़ता है तो कार्मिक और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर अविलम्ब बन्ध पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान करेंगे तथा उसके (कार्मिक) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त बन्ध पत्र की बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगी।

यह सदा प्रतिबन्धित होगा कि यदि कारपोरेशन, कार्मिक अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

हस्ताक्षरित

(अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु))

पूरा नाम

दिनांक एवं स्थान

हस्ताक्षर प्रतिभू

पूरा नाम व पता

.....

.....

दिनांक एवं स्थान

साक्षी

1 हस्ताक्षर

नाम व पता

.....

2 हस्ताक्षर

नाम व पता

.....

नोट:- प्रतिभू का वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रमाण के सम्बन्ध में बन्ध पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख जमा कराने होंगे:-

1. यदि प्रतिभू सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है तो उसके नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अद्यतन वेतन प्रमाण पत्र मूल रूप में।
2. अन्य के सम्बन्ध में तहसीलदार अथवा उससे उच्चतर राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैसियतनामा प्रमाण पत्र मूल रूप में।

प्राधिकार पत्र

दस रुपये के स्टाम्प
पेपर पर नोटरी द्वारा
सत्यापित किया जाये ।

मैं, श्री/कु0/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी

जिन्हें पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के नियुक्ति पत्र संख्या/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच-4 दिनांक में वर्णित शर्तों के अधीन अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति दी गई है, यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि मैं स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् नियमित संवर्ग में अस्थाई अवर अभियन्ता (जानपद) के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक त्याग पत्र नहीं दूँगा/ न ही अन्यथा सेवा छोड़ूँगा, जिसके लिए मैं अपने नाम पर बनायी गयी एवं प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल के नाम बन्धक (Pledge) की गयी 2,00,000 रुपये (मात्र दो लाख रुपये) धनराशि की एक सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) संख्या दिनांक बैंक का नाम (मूल रूप में) जोकि चार वर्ष की अवधि के लिए मान्य है, को प्रतिभूति के रूप में जमा करवा रहा हूँ।

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को यह अधिकार होगा कि यदि मैं प्रशिक्षण अवधि में अथवा तत्पश्चात् नियमित संवर्ग में अस्थाई नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक कारपोरेशन की सेवा से त्याग पत्र देता हूँ / अन्यथा सेवा छोड़ता हूँ, तो कारपोरेशन मेरे द्वारा जमा की गई उक्त सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) को भुना (Encash) सकता है।

यह सदा प्रतिबन्धित होगा कि यदि कारपोरेशन, कार्मिक अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह जमा कराया गया सावधि जमा पत्र कार्मिक को वापस कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षरित

दिनांक

स्थान

(अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु))

पूरा नाम

साक्षी

1 हस्ताक्षर

नाम व पता

2 हस्ताक्षर

नाम व पता

आवश्यक निर्देश

यह भी सूचनीय है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं घोषणा पत्रों/ शपथ पत्रों में किसी भी प्रकार की कटिंग/फ्ल्यूड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वांछित प्रपत्रों में कटिंग/फ्ल्यूड का प्रयोग करने पर उक्त प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अतः नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों को भरने से पूर्व ही एक अतिरिक्त प्रति करा लिया जाना उचित रहेगा, जिससे प्रारूप भरते समय कोई त्रुटी होने पर नया प्रारूप भरा जा सके।